File No: A.12018/6/2019-PRC (AL&IO)
भारत सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
(पी.एच– अनुभाग)

निर्माण भवन, नई दिल्ली
दिनांक 29 .10.2021

विषय :– राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केन्द्र (एन.सी.डी.सी.), 22–शाम नाथ मार्ग, दिल्ली–54 में सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष एवं सूचना अधिकारी के पद के लिये भर्ती नियमों में संशोधन के बारे में सार्वजनिक सूचना ।

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. ए.बी.14017 / 61 / 2008–स्थापना (आर.आर.) दिनांक 13.10.2015 के अनुपालन मे सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष एवं सूचना अधिकारी के पद के लिये भर्ती नियमों के संबंध में मसौदा संलग्न है ।

2 मसौदा भर्ती नियमों पर कोई आपत्ति/टिप्पणी या सुझाव देने के इच्छुक हितधारक, श्री मनीष कुमार, अवर सचिव, मंत्रालय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कमरा नं. 752-A विंग, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 या ईमेल पता manish.kr01@gov.in publichealth2@yahoo.com

(मनीष कुमार)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष–011-23063068

[भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उपखंड (1) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
(स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, ...2021

सा.का.नि.................................... राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के उपबन्ध द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान , दिल्ली में (श्रेणी–ग पद) भर्ती नियम 1981, जब तक ये नियम पुस्तकालय एवं सूचना सहायक के संबंध में हैं, से संबंधित कार्य जो हो चुके हैं या नहीं करने हैं को स्थगित करते हुए, इसके स्थान पर राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केन्द्र, एन.सी.डी.सी. दिल्ली में **सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष एवं सूचना अधिकारी** पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिये स्वा.सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम – स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय **सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष एवं सूचना**

अधिकारी (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम–2020.

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद–संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर** : पद की संख्या, उसका वर्गीकरण, और वेतन मैट्रिक्स में स्तर या उक्त पदो के साथ संलग्न वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि** – भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त/पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **आयोग्यता** – वह व्यक्ति–

क जिसने ऐसे किसी व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है ; या

ख जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा ;

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति** – जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या उचित है, हो सकता है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, एवं उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति** – इन नियमों का, ऐसे आरक्षण, आयु–सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं होगा, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछडे वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

File No: A.12018/6/2019-PRC (AL&IO)

मनीष

(मनीष कुमार)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष–011-23063068

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु–सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिये अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष एवं सूचना अधिकारी राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केन्द्र, दिल्ली	1 (2020) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', राजपत्रित, अनु–सचिवीय	वेतन मैट्रिक्स (44900–142400 रूपए) में स्तर–7	चयन	30 वर्ष से अधिक नहीं । (केन्द्र सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिये 5 वर्ष की छूट) **टिप्पण** :– आयु–सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । (न कि आसाम, मेघालय, अरूणांचल प्रदेश, मिजोरम, मणीपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर के लद्दाख मंडल, लाहौल एवं स्पीति जिले तथा हिमाचल प्रदेश में चंबा जिले के पांगी उप–मंडल, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभर्थियों के लिए विहित की गई है) ।	**अनिवार्य :–** 1. किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय / संस्थान से पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में स्नातक 2. केन्द्रीय / राज्य सरकार / स्वायत्त / सांविधानिक संस्थान / सार्वजनिक क्षेत्र / विश्वविद्यालय या मान्यताप्राप्त अनुसंधान या शैक्षिक संस्थान के पुस्तकालय में 2 वर्ष का अनुभव । **वांछनीय :–** किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री । 2. किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कम्पयूटर उपयोग में डिपलोमा **टिप्पणी :–** 1. अन्यथा सुअर्हित अभ्यार्थियों की दशा में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं । 2. अनुभव संबंधी अर्हताएं सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रण पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभयर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो ।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता ।
(8)	(9)	(10)
नहीं	सीधी भर्ती होने पर दो वर्ष	पदोन्नति पर अन्यथा प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण या दोनों प्रकार से असफल होने पर सीधी भर्ती द्वारा।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा ।
(11)
पदोन्नति : पुस्तकालय एवं सूचना सहायक, स्तर–6 में 5 वर्ष की नियमित सेवा से पदोन्नति **नोट** :– जहॉ कनिष्ठ कर्मचारी पदोन्नति हेत शैक्षिक योग्यता/सेवा की पात्रता पूर्ण करते हों, उनके वरिष्ठ कर्मचारियों को भी ध्यान में रखा जाएगा बशर्ते कि वे शैक्षिक योग्यता/सेवा की पात्रता की कम से कम आधी शर्तें या 2 वर्ष की सेवा, जो भी कम हो, को पूर्ण करते हों तथा अपने कनिष्ठ कर्मचारियों, जिन्होंने शैक्षिक योग्यता/सेवा की पात्रता पूर्ण कर ली हो, के साथ अगले पद पर पदोन्नति हेतु परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण कर ली हो । **नोट**:– पदोन्नति हेतु न्यूनतम सेवा की गणना के उद्देश्य से अधिकारी द्वारा नियमित रूप से पूर्ण की गई सेवा 1 जनवरी 2016 से पहले जोकि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तार किया गया के तहत मानी जाएगी । **प्रतिनियुक्ति** :– केन्द सरकार के अधिकारी :– क. 1. अपने पैतृक कैडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद पर कार्यरत । 2. अपने पैतृक कैडर/विभाग पे. मैट्रिक्स के स्तर–6 पूर्व संशोधित पी.बी.2 9300–34800 ग्रेड.पे 4200/– या समकक्ष में 5 वर्ष की नियमित सेवा । ख. कॉलम 8 के अंर्तगत निर्धारित शैक्षिक योग्यता, अनुभव होना । पुष्टि करने वाली श्रेणी के विभागीय अधिकारी, जोकि पदोन्नति की सीधी पंक्ति में आते हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु योग्य नहीं माने जाऐंगे । इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त कर्मचारियों को पदोन्नति हेतु योग्य नहीं माना जाएगा । प्रतिनियुक्ति की अवधि तत्काल प्राप्त अन्य गैर–संवर्गीय पद की अवधि सहित । केन्द्र सरकार के उसी या अन्य संस्थान या विभाग में नियुक्ति के प्रारंभ में सामान्यतः 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि को प्रार्थी की आयु 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना ।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।
(12)	(13)
1. समूह 'ख' विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) 1. राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केन्द्र में अतिरिक्त निदेशक के पद पर अधिकारी ––––– अध्यक्ष 2. राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केन्द्र के संयुक्त निदेशक के पद पर अधिकारी ––––– सदस्य 3. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के उप–निदेशक (प्रशासन) या अधिक वर्ग के अधिकारी–––––––सदस्य 4. एन.वी.बी.डी.सी.पी या स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अंतर्गत अन्य संस्थान, दिल्ली/नई दिल्ली से प्रशासनिक अधिकारी––––––––––––––सदस्य 4. सहायक निदेशक, (प्रशासन)/प्रशासनिक अधिकारी, एन.सी.डी.सी. दिल्ली –––––––सदस्य	सीधी भर्ती क समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लेना आवश्यक है ।

File No: A.12018/6/2019-PRC (AL&IO)

(मनीष कुमार)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष–011-23063068